न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 124/2012
प्रविष्टि दिनांक 30.07.2012

1–शिवप्रसाद पुत्र श्री बालू बैरवा निवासी गोपालपुरा पटवार हल्का नटवाड़ा तह0 निवाई जिला टोंक राज0
2–सुखराम पुत्र शिवप्रसाद जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा पटवार हल्का नटवाड़ा तह0 निवाई जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–देशराज पि0 मु0 गेन्दा जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा पटवार हल्का नटवाड़ा तह0 निवाई जिला टोंक राज0
2–नानगी पत्नि गेन्दा जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा पटवार हल्का नटवाड़ा तह0 निवाई जिला टोंक राज0
3– तहसीलदार निवाई जिला–टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा0टि0एक्ट 1955 विरूद निर्णय तहसीलदार निवाई दिनांक 24–4–2019 पत्रावली सं0 4/2018 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी देशराज आदि बनाम शिवप्रसाद आदि

उपस्थिति –(1) श्री योगेश व्यास अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री महेश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 10–7–2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 24–4–2019 को अपीलाण्ट को आराजी ख0न0 138/1 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम नटवाड़ा पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये नोटिस की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 138/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम नटवाड़ा में स्थित है। इस भूमि पर अप्रार्थीगण शिवप्रसाद पुत्र बालू व सुखराम पुत्र शिवप्रसाद जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा पटवार हल्का नटवाड़ा ने प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को हड़पने की बदनियति से मौके पर नाजायज अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है जिससे उनको बेदखल किया जाना न्यायोचित व विधि संगत है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को कई बार मोखिक रूप से समझाया परन्तु अप्रार्थीगण की नियत में खोट आ जाने से प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को हड़पना चाहते हैं जिसका अधिकार अप्रार्थीगण को नहीं होने से अप्रार्थीगण को मौके पर बेदखल किया जाना अतिआवश्यक है। सम्पूर्ण भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर प्रार्थीगण को मौके पर कब्जा संभलाया जावे। तहसीलदार निवाई द्वारा 183 बी के तहत जो कार्यवाही की गई है वह प्रथम तो तहसीलदार के यहॉ चलने योग्य नहीं थी क्योंकि अपीलान्टस एंव रेस्पोडेण्ट्स दोनों ही बैरवा जाति के हैं जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं उक्त धारा के तहत कार्यवाही तब ही चलने योग्य होती हे जब भूमि अनु0 जाति/अनु0 जन जाति की हो ओर उस पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा हो। परन्तु इस प्रकरण में दोनों ही पक्ष अनुसूचित जाति के होने से यह कार्यवाही चलने योग्य नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से निर्णय पारित करने ने कानूनी भूल की है। जिससे निर्णय निरस्त योग्य है।

अपीलाण्ट् ने तहसीलदार निवाई के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि अपीलान्टस का रेस्पोडेट्स की भूमि से किसी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है न ही उनका कब्जा है। भूमि खसरा नम्बर 138 में से 2 बीघा वाके नटवाड़ा में आवण्टन हुई थी जिसका कब्जा उसे दो टुकड़ो में संभलाया गया था दोनों टुक्ड़ों के खेते के खसरा नम्बर भू सुधार की नक्शा शीट में 138/5/1 रकबा 1 बीघा व खसरा नम्बर 138/5/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा है। जिस पर अपीलार्थी की पूर्वज काली बेवा रधुनाथ अपने जीवन काल तक बहेसियत मालिक, स्वामी काबिज रही है, व उसके पश्चात अपीलान्ट्स शिवप्रसाद मौके पर काबिज चला आ रहा है। खसरा नम्बर 138/5/1 भू सुंधार शीट के उपर यानि उत्तर दिशा की ओर 138/1 स्पष्ट रूप से बना हुआ है अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 138/1 शीट में बना हुआ है उस स्थान पर अपीलार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। रेस्पोडेण्ट्स से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिल कर अपनी आराजी जिसका खेत भू सुधार की शीट में खसरा नम्बर 138/1 स्पष्ट रूप से बना हुआ है, की तरमीम में परिवर्तन करवा कर मौके पर बिना कोई जॉच अथवा मौका निरीक्षण किये बिना ही हाल राजस्व शीट में भू सुधार की शीट के विपरीत जाकर बिना किसी सक्षम न्यायालय अथवा अधिकारी के आदेश के ही शीट में कॉट छॉट कर खसरा नम्बर 138/1 का खेत शीट में प्रदर्शित कर दिया। अपीलार्थीगण की ओर से उपखण्ड अधिकारी निवाई के यहॉ प्रकरण सं0 18/2017 शिवप्रसाद बनाम देशराज प्रस्तुत किया गया था, जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई ने भू सुधार शीट के अनुसार तरमीम करने का आदेश दिनांक 25–5–2017 को पारित किया गया है। जिसके सम्बन्ध में वर्तमान न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के यहॉ प्रकरण विचाराधीन है। इन सब तथ्यों की अनदेखी कररते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में महान कानूनी गलती की है। जिससे आदेश निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेण्ट्स के अभिभाषक ने दोराने बहस कथन किया कि अपीलान्टस के अभिभाषक ने मृतक को पार्टी बना कर अपील पेश की है। रेस्पोडेण्ट्स सं0 2 की मृत्यु हो चुकी है जो उसी गॉव की रहने वाली थी यह संभव नहीं है कि उसे इस बात का पता

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

नहीं हो कि रेस्पोडेण्ट्स सं0 2 की मृत्यु हो चूकी है। अतः अपील चलने योग्य नहीं है, साथ ही लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया कि धारा 183 बी की कार्यवाही जहाँ दोनों पक्ष एक ही जाति के हो, वहाँ चलने योग्य है। इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने आर0बी0जे0 2009 पेज 528 में प्रतिपादित किया है ओर स्पष्ट किया है कि अतिकमी की कोई जाति नहीं होती। अतिकमी किसी भी वर्ग का हो वह अतिकमी कहलाता है ओर धारा 183 बी के तहत कार्यवाही की जा सकती है। तहसीलदार निवाई का आदेश सही एंव न्यायोचित है। रेस्पोडेण्ट्स के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 138/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में से लगभग एक बीघा भूमि पर अपीलान्ट्स ने जबरन कब्जा कर रख है, इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से जॉच रिपोर्ट तलब की गई पटवारी हल्का ने अपने जॉच रिपोर्ट दिनांक 21–5–2018 से अवगत कराया कि रेस्पोडण्ट्स की उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स का अतिकमण है। उक्त रिपोर्ट पर अपीलाण्ट्स द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई ओर न ही अपीलीय न्यायालय के समक्ष की गई अर्थात हल्का पटवारी द्वारा दी गई रिपोर्ट सही है ओर अब अपीलान्ट्स का यह कहना कि वह तो अपनी स्वय की भूमि 138/5/1 व खसरा नम्बर 138/5/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा जिस स्थान पर खेत बना हुआ है उसी स्थान पर काबिज है, सर्वथा गलत है। अपीलान्ट को जिस समय भूमि आवण्टित हुई उस समय उसे सुपुर्दगीनामा दिया गया था ओर वह अपने सुपुर्दगीनामा अनुसार ही खुद की भूमि पर सही रूप से काबिज है राजस्व कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की शीट में गलत तरमीम नहीं की गई है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के निर्णय में भी उक्त तथ्य का अंकन किया है। अपीलान्ट्स का यह कहना कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है, गलत है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स ने एक प्रार्थना पत्र शीट दुरूस्ती का पेश किया था, जिसके विरूद्व रेस्पोडेट्स ने ए0डी0सी0 अजमेर के यहॉ अपील पेश की थी, जिसे स्वीकार किया गया है उसके निर्णय के पृष्ट सं0 5 पर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 26–6–2015 व 19–5–2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो आदेश दिये गये थे, उनके विरूद्व किसी भी पक्षकार द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनोती नहीं दी गई है, जिससे स्पष्ट है उक्त आदेश वर्तमान में प्रभावी है। अपीलान्ट्स ने उक्त आदेशों के प्रभावी रहते ही दूसरा प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे ए0डी0सी0 से निरस्त कर दिया ओर उपखण्ड अधिकारी को इस आदेश के साथ वापिस भेजा है कि पूर्व में हुए तरमीम दुरूस्ती एंव सीमाज्ञान एंव पत्थरगढ़ी के आदेश को ध्यान में रख कर यदि आवश्यकता हो तो पुनः निर्णय पारित करें। ऐसी स्थति में अपीलान्ट्स का यह कहना कि मामला विचाराधीन है, गलत है। वादग्रस्त भूमि की पूर्व में की गई तरमीम दुरूस्ती तथा सीमाज्ञान एंव पत्थरगढी हो चुकी है ओर रिपोर्ट पटवारी से भी स्पष्ट है कि अपीलाट्स अतिकमी है तथा किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपील अपीलाण्ट्स मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाई जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस को सुना एंव मनन किया तथा पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। बहस के दोरान अभिभाषक अपीलाट्स ने निवेदन किया कि रेस्पोडेट्स सं0 2 की मृत्यू की सूचना हमें समय पर नहीं होने के कारण उनका नाम अंकित करने की भूल हुई है तथा उनका नाम डिलिट करने का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। अभिभषक रेस्पोडेण्ट्स ने 100/रूपये की कॉस्ट लगा कर पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु सहमति दी जिस पर पर प्रार्थना पत्र 100/रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट्स ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

सके कि जिससे यह साबित हो कि अनु0 जाति की भूमि पर अनु0 जाति के व्यक्ति का कब्जा होने पर 183 बी की कार्यवाही नहीं की जा सकती हो। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति की भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा खसरा नम्बर 138/1 रकबा 1 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है। धारा 183 बी के प्रावधान विशेष रूप से अनु0 जाति एंव अनु0 जन जाति के लोगों के हित में सरसरी जॉच करके तुरन्त राहत दिलाने के उद्देश्य से बनाये गये हैं। तहसीलदार निवाई द्वारा जो कार्यवाही की गई वह नियमानुसार एंव सही प्रतीत होती है। उक्त तथ्यों एवं प्रस्तुत रूलिंग से तहसीलदार निवाई द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 24–4–2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10–7–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोक

Scanned by CamScanner